संख्या:1230 /18(1)/2008

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 07 नवम्बर, 2008

विषयः—वित्तीय वर्ष 2008—09 में जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरी के आवासीय/अनावासीय भवनों की धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1125/नवम—14/2004—05 दिनांक 08—05—2008 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरी के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या—537/18(1)/2004 दिनांक 08—11—2004 एवं शासनादेश संख्या—288/18(1)2007 दिनांक 14—03—2008 द्वारा समस्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी। पुनः उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन रू0 178.39 लाख को टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरांत रू0 172.82 लाख को औचित्यपूर्ण पाया गया। अतः टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित अवशेष धनराशि रू0 10.59 लाख को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय से सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1— कार्य करने से पूर्व मदवार विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

2— कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

3— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

4— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए ही पूर्ण की जांच, एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय।

............(2)

5– निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

7– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 लेखाशीर्षक–4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन आयोजनागत–051–निर्माण–03–तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–73P/XXVII(5)/2008 दिनांक 10–09–2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कूमॉयू मण्डल, नैनीताल।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।

............(3)

6– अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–5
11– अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 चम्पावत।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।